रजिस्ट्री सं॰ डी॰एल॰-33004/98 REGD. NO. D.L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3— उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

SECRETARIAT LIBRARY

सं. 147] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 29, 1998/वैशाख 9, 1920
No. 147] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 29, 1998/VAISAKHA 9, 1920

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अप्रैल, 1998

सं. 10/98-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क एन . टी.

सा.का. नि. 228 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1998 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (संशोधन)चौथा संशोधन नियम, 1998 है ।

(2) ये 1 मई, 1998 को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (चौथा संशोधन) नियम, 1998 में—

(i) नियम 2 (i) (अ) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) ''1. 1 सितम्बर, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के लिए शुल्क देयता की कुल राशि'' शीर्षक के अधीन खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

''(ग) यदि कोई विनिर्माता खंड (क) के अधीन संदेय शुल्क की कुल राशि का 31 मार्च, 1998 तक संदाय करने में असफल रहता है तो वह बकाया राशि का (अर्थात् शुल्क की राशि जिसका 31 मार्च, 1998 तक संदाय नहीं किया गया है) 1 अप्रैल, 1998 से बकाया राशि का वास्तविक संदाय किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए उस बकाया राशि पर अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित ब्याज सहित संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु यह कि यदि विनिर्माता 30 अप्रैल, 1998 तक खंड (ग) के अधीन संदाय शुल्क की कुल राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो वह 30 अप्रैल, 1998 को शुल्क की बकाया राशि के बराबर या पांच हजार रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो शास्ति का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा।'' ';

(ii) नियम 2 (i) (इ) के अंत में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह कि यदि विनिर्माता सितम्बर, 1997 से मार्च, 1998 तक प्रत्येक मास के लिए शुल्क की कुल राशि का 30 अप्रैल, 1998 तक संदाय करने में असफल रहता है तो वह 30 अप्रैल, 1998 को बकाया राशि के बराबर या पांच हजार रुपए इनमें से जो भी अधिक हो शास्ति का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा।";

(iii) नियम 2 (ii) (अ) में खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(क) "1. 1 सितम्बर, 1997 से 31 मार्च, 1998 तक की अवधि के लिए शुल्क देयता की कुल राशि" शीर्षक के अधीन खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ग) यदि कोई विनिर्माता खंड (क) के अधीन संदेय शुल्क की कुल राशि का 31 मार्च, 1998 तक संदाय करने में असफल रहता है तो वह बकाया राशि का (अर्थात् शुल्क की राशि जिसका 31 मार्च, 1998 तक संदाय नहीं किया गया है) 1 अप्रैल, 1998 से बकाया राशि का वास्तविक संदाय किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए उस बकाया राशि पर 18 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित ब्याज सहित संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु यह कि यदि विनिर्माता 30 अप्रैल, 1998 तक खंड (ग) के अधीन संदाय शुल्क की कुल राशि का संदाय करने में असफल रहता है तो वह 30 अप्रैल, 1998 को शुल्क की बकाया राशि के बराबर या पांच हजार रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो शास्ति का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा।" ';

(iv) नियम 2 (ii) (इ) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

(इ) उपनियम (3) में चौथे परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रखा जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह और भी कि जहां कोई विनिर्माता किसी मास के लिए संदेय संपूर्ण राशि का उस मास की दस तारीख तक संदाय करने में असफल रहता है तो वह—

(i) बकाया राशि का उस मास की 11 तारीख से बकाया राशि का संदाय किए जाने की तारीख तक की अवधि के लिए उस पर अठारह प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से संगणित ब्याज सहित संदाय करने का दायी होगा : और

(ii) उस बकाया राशि के बराबर जो उस मास के अंत में उस देय है या पांच हजार रुपए इनमें से जो भी अधिक हो के बराबर शास्ति का संदाय करने का दायी होगा :

परन्तु यह और कि यदि विनिर्माता सितंबर, 1997 से मार्च, 1998 तक प्रत्येक मास के लिए शुल्क की कुल राशि का 30 अप्रैल, 1998 तक संदाय करने में असफल रहता है तो वह 30 अप्रैल, 1998 को बकाया राशि के बराबर या पांच हजार रुपए, इनमें से जो भी अधिक हो शास्ति का संदाय करने के दायित्वाधीन होगा।" ';

[फा. सं. 345/40/97-टीआरयू]

अतुल गुप्ता, अवर सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण में दिनांक 10 मार्च, 1998 की अधिसूचना संख्या 7/98-के. उ. शु. (गै. टै.) [सा. का. नि. सं. 130(अ), तारीख 10 मार्च, 1998] द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनका दिनांक 31 मार्च, 1998 की अधिसूचना सं. 9/98-के. उ. शु. (गै. टै.) [सा. का. नि. सं. 155(अ), तारीख 31 मार्च, 1998] द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th April, 1998

No. 10/98-Central Excise (N.T.)

G.S.R. 228 (E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following rules further to amend the Central Excise (Fourth Amendment) Rules, 1998, namely :—

1. (1) These rules may be called the Central Excise [Fourth Amendment (Amendment)] Rules, 1998.

(2) They shall come into force on the first day of May, 1998.

2. In the Central Excise (Fourth Amendment) Rules, 1998,-

(i) in rule 2 (i) (A), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

(a) under the heading "I. Total amount of duty liability for the period from the 1st day of September, 1997 to the 31st day of March, 1998", for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) if a manufacturer fails to pay the total amount of duty payable under clause (a) by the 31st day of March, 1998, he shall be liable to pay the outstanding amount (that is the amount of duty which has not been paid by the 31st day of March, 1998) alongwith interest at the rate of eighteen per cernt per annum on such outstanding amount calculated for the period from the 1st day of April, 1998 till the date of actual payment of the outstanding amount :

Provided that if the manufacturer fails to pay the total amount of duty payable under clause (a) by the 30th day of April, 1998, he shall also be liable to pay a penalty equal to the outstanding amount of duty as on 30th day of April, 1998 or five thousand rupees, whichever is greater." ';

(ii) in rule 2 (i) (C), the following proviso shall be added at the end, namely :—

"Provided that if the manufacturer fails to pay the total amount of the duty payable for each of the months from September, 1997 to March, 1998 by the 30th day of April, 1998, he shall also be liable to pay a penalty equal to the outstanding amount of duty as on 30th day of April, 1998 or five thousand rupees, whichever is greater.";

(iii) in rule 2 (ii) (A), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :—

'(a) under the heading "I. Total amount of duty liability for the period from the 1st day of September, 1997 to the 31st day of March, 1998", for clause (c), the following clause shall be substituted, namely :—

"(c) if a manufacturer fails to pay to the total amount of duty payable under clause (a) by the 31st day of March, 1998, he shall be liable to pay the outstanding amount of duty (that is the amount of duty which has not been paid by the 31st day of March, 1998) alongwith interest at the rate of eighteen per cent. per annum on such outstanding amount calculated for the period from the 1st day of April, 1998 till the date of actual payment of the outstanding amount :

Provided that if the manufacturer fails to pay the total amount of duty payable under clause (a) by the 30th day of April, 1998, he shall also be liable to pay a penalty equal to the outstanding amount of duty as on 30th day of April, 1998 or five thousand rupees, whichever is greater." ';

(iv) for rule 2 (ii) (C), the following shall be substituted, namely :—

'(c) in sub-rule (3), for the fourth proviso, the following shall be substituted, namely :—

"Provided also that where a manufacturer fails to pay the whole of the amount of duty payable for any month by the 10th day of such month, he shall be liable to pay,—

(i) the outstanding amount of duty alongwith interest thereon at the rate of eighteen per cent. per annum calculated for the period from the 11th day of such month till the date of actual payment of the outstanding amount ; and

(ii) a penalty equal to the amount of duty outstanding from him at end of such month or five thousand rupees, whichever is greater :

Provided further that if the manufacturer fails to pay the total amount of the duty payable for each of the months from September, 1997 to March, 1998 by the 30th day of April, 1998, he shall also be liable to pay a penalty equal to the outstanding amount of duty as on the 30th day of April, 1998 or five thousand rupees, whichever is greater ." ';

[F. No. 345/40/97-TRU]

ATUL GUPTA, Under Secy.

Note : The Principal rules were published in the Gazette of India Extraordinary vide notification No. 7/98-Central Excise (N.T.), dated the 10th March, 1998 [G.S.R. 130(E), dated the 10th March, 1998] and amended by notification No. 9/98-Central Excise (N.T.) dated the 31st March, 1998 [G.S.R. 155 (E), dated the 31st March, 1998].

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998.